

जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल मे विद्यमान करदाताओं के नामांकन हेतु

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

भाग— अ :- सामान्य जानकारी

1. **विद्यमान करदाता कौन है ?**
विद्यमान करदाता एक इकाई है जो निम्न किन्हीं अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयत है—
 1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 2. सेवा कर
 3. राज्य विक्रय कर/ मूल्य संवर्धित कर (विशिष्ट मदिरा व्यवसायी जो मूल्य संवर्धित कर मे पंजीकृत है को छोड़कर)
 4. प्रवेश कर
 5. विलासिता कर
 6. मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले कर को छोड़कर)
2. **जी.एस.टी.पोर्टल में शब्द " Enrollment "(नामांकन) का अर्थ क्या है?**
जी.एस.टी. के अंतर्गत Enrollment का अर्थ विद्यमान करदाताओं के डाटा को मान्य करना तथा आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि करना है।
3. **क्या मुझे जी.एस.टी. के लिये " Enrollment "(नामांकन) कराने की आवश्यकता है ?**
प्रश्न क्रमांक एक के अंतर्गत अधिनियमों मे पंजीकृत वे सभी विद्यमान करदाता जो पंजीकृत हैं को जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ेगा। जी.एस.टी. हेतु नामांकन, जी.एस.टी. कर प्रणाली में बाधारहित अंतरण सुनिश्चित करेगा। विभिन्न कर प्राधिकारियों के पास उपलब्ध डाटा अपूर्ण है अतः नवीन नामांकन की योजना बनाई गई है यह जी.एस.टी. डाटा बेस मे वर्तमान डाटा की उपलब्धता को, बिना किसी संशोधन प्रक्रिया के सुनिश्चित करेगा जो आज के दिनोंक में कर अधिनियम के अंतर्गत डेटा को अद्यतन करने का मानक है।
4. **जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल मे मुझे यूजर के रूप मे " Enrollment "(नामांकन) की आवश्यकता क्यों है ?**

इस उद्देश्य के लिये जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल का सृजन इसी उद्देश्य के लिए किया गया है क्योंकि चूंकि जीएसटी सिस्टम में किसी प्रकार के पेपर आधारित नामांकन को किसी भी प्रकार का पेपर आधारित नामांकन मान्य नहीं होगा इसलिए जीएसटी सिस्टम पोर्टल का निर्माण किया गया है। आपको जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल में यूजर के रूप में नामांकन कराने की जरूरत होगी जो आपको जी.एस.टी. अनुपालन आवश्यकताओं जैसे विवरणी की प्रविष्टि करना, कर का भुगतान करना आदि में पंजीयत के रूप में सक्षम बनायेगा।

5. जी.एस.टी. पोर्टल सिस्टम में मुझे कब नामांकित होने की आवश्यकता पड़ेगी?

प्रश्न क्रमांक एक के अंतर्गत अधिनियमों में पंजीकृत वे सभी विद्यमान करदाता जो पंजीकृत हैं को जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल में नामांकन करने की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य वैट तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अक्टूबर 2016 से, जी.एस.टी सिस्टम पोर्टल में बताये गये योजना के अंतर्गत, जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में नामांकन प्रारंभ कर सकते हैं। सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत करदाता को अन्य तिथि में नामांकित किया जायेगा जिसके लिये पृथक से सूचना जारी की जायेगी।

6. जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में deemed enrollment की कोई परिकल्पना की गई है क्या ?

नहीं, जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल में deemed enrollment नहीं है। प्रश्न क्रमांक एक के अंतर्गत अधिनियमों में पंजीकृत वे सभी विद्यमान करदाता जो पंजीकृत हैं से आशा की जाती है कि वे जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल में जाकर स्वयं को नामांकित करें।

7. क्या जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल में नामांकन के लिये किसी प्रकार का कोई शुल्क/प्रभार वसूल किया जायेगा?

नहीं, जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल में करदाता के नामांकन हेतु किसी प्रकार का शुल्क/प्रभार निर्धारित नहीं है।

8. क्या प्रश्न क्रमांक एक में वर्णित केन्द्र/राज्य/संघ शासित कर अधिनियमों के


अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं के लिये अलग-अलग नामांकन प्रक्रिया है ?

नहीं, केन्द्र/राज्य/संघ शासित कर अधिनियमों जैसा कि प्रश्न क्रमांक एक में वर्णित है, के अंतर्गत पंजीकृत सभी करदाताओं हेतु नामांकन की प्रक्रिया सामान्य है।

9. क्या करदाताओं को जी.एस.टी. के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य के प्राधिकारियों के पास अलग-अलग नामांकन कराने की आवश्यकता है ?

नहीं, कोई भी व्यक्ति जो जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत नामांकन करने की रखता है को जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में आवेदन करना होगा। जी.एस.टी. के अंतर्गत नामांकन केन्द्रीय जी.एस.टी. तथा राज्य जी.एस.टी. के लिये एक ही होगा। केन्द्र जी.एस.टी. तथा राज्य जी.एस.टी. के लिये एक पंजीयन, एक विवरणी तथा एक चालान की व्यवस्था है।

10. अस्थायी आई.डी. का क्या प्रारूप (format) है ?



11. जी.एस.टी. में नामांकन करने से पूर्व मेरे पास कौन सी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिये ?

जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल में नामांकन करने से पूर्व आप निम्न जानकारी/दस्तावेज को अपने पास सुनिश्चित करेंगे—

1. केन्द्र/राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त अस्थायी आई.डी.
2. केन्द्र/राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त पासवर्ड
3. वैध ई-मेल एड्रेस

4. वैध मोबाईल नंबर
5. बैंक खाता का क्रमांक
6. बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड

दस्तावेज

अ. व्यवसाय के गठन का प्रमाण:

1. पार्टनरशिप फर्म के संबंध में: पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप डीड (पी.डी.एफ. तथा जे.पी.ई.जी. फॉरमेट में अधिकतम साईज— 01 एम.बी.)
2. अन्य के मामले में: व्यवसायिक इकाई का पंजीयन प्रमाण पत्र (पी.डी.एफ. तथा जे.पी.ई.जी. फॉरमेट में अधिकतम साईज— 01 एम.बी.)

ब. अविभाजित हिन्दू परिवार (एच.यू.एफ.) के प्रमोटर/ पार्टनर/ कर्ता का फोटोग्राफ (जे.पी.ई.जी. फॉरमेट में अधिकतम साईज— 100 के.बी.)

स. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का साक्ष्य (पी.डी.एफ. तथा जे.पी.ई.जी. फॉरमेट में अधिकतम साईज— 01 एम.बी.)

द. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटोग्राफ (जे.पी.ई.जी. फॉरमेट में अधिकतम साईज— 100 के.बी.)

घ. बैंक पास बुक/स्टेटमेंट के प्रथम पृष्ठ जिसमें बैंक का खाता क्रमांक, बैंक ब्रांच का पता, खाताधारक का पता तथा कुछ संव्यवहारों का विवरण हो (पी.डी.एफ. तथा जे.पी.ई.जी.फॉरमेट में अधिकतम साईज— 01 एम.बी.)

भाग— ब:— सिस्टम संबंधित विशिष्ट जानकारी

12. प्रथम बार लॉगिन करते समय मुझे कौन सा यूजर नेम प्रविष्ट करना होगा ? क्या मैं वही यूजर नेम और पासवर्ड प्रविष्ट कर सकता हूँ जो मैं राज्य के पंजीयत व्यवसायी के रूप में लॉगिन करते समय उपयोग किया करता था ?

प्रथम बार लॉगिन करते समय आपको वही यूजर नेम तथा पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा जो आपके द्वारा राज्य वैट/केन्द्र कर विभागों से प्राप्त किया गया था,

तत्पश्चात् लॉगिन करने के लिये आपको जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में नामांकन करते समय बनाये गये यूजर नेम तथा पासवर्ड की प्रविष्टि करनी पड़ेगी।

13. प्रथम बार लॉगिन करने के पश्चात् मुझे कैसे यूजर आई.डी. का चयन करना होगा ?

आप अपने सुविधा के अनुरूप किसी भी यूजर आई.डी. का चयन कर सकते हैं परंतु वह डाटाबेस में उपलब्ध होना चाहिये।

14. मुझे जी.एस.टी. में "Enrollment " (नामांकन) करने हेतु यूजर नेम तथा पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे अब क्या करना होगा ?

यदि आपको यूजर नेम तथा पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित राज्य/केन्द्र प्राधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

15. जी.एस.टी. में "Enrollment " (नामांकन) करने के दौरान क्या मैं अपने कर सलाहकार का ई-मेल एड्रेस तथा मोबाईल नंबर दे सकता हूँ ?

नहीं, आपको अपने कर सलाहकार या किसी अन्य का मोबाईल नंबर तथा ई-मेल एड्रेस नहीं देना चाहिये। आपको अपना अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल एड्रेस तथा मोबाईल नंबर ही प्रस्तुत करना चाहिये। भविष्य में जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर सभी पत्राचार/संपर्क पंजीकृत मोबाईल नंबर तथा ई-मेल एड्रेस पर ही भेजे जायेंगे।

जी.एस.टी.सिस्टम में कर सलाहकारों को पृथक से यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड प्रदाय किया जायेगा तथा उक्त उद्देश्य के लिये उनके द्वारा स्वयं का मोबाईल नंबर तथा ई-मेल आई.डी. प्रदाय किया जाना होगा।

16. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कौन हो सकेंगे ?

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वह व्यक्ति होगा जो करदाता के लिये प्राथमिक तौर पर जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर करदाता की ओर से कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी होगा। करदाता से संबंधित सभी सूचनायें जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल के माध्यम से उसे ही भेजी जायेगी। उदाहरणार्थ— स्वामित्व के संबंध में स्वयं स्वामी अथवा उसके द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति, पार्टनरशिप के संबंध में कोई भी प्राधिकृत पार्टनर अथवा कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति, कंपनी/एल.एल.पी., सोसायटी,

ट्रस्ट के संबंध में बोर्ड अथवा गवर्निंग बॉडी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। प्राधिकार पत्र की प्रति को अपलोड करना आवश्यक होगा।

किसी एक व्यवसायिक इकाई के लिये एक से अधिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मामले में एक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में चिन्हित करना होगा तथा उस व्यक्ति का ई-मेल आई.डी. व मोबाईल नंबर नामांकन के समय उपलब्ध कराना होगा।

किसी व्यवसायिक इकाई में एक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने के मामले में उसे उस व्यवसायिक इकाई का प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मान लिया जायेगा।

17. ओ.टी.पी. कितने समय के लिये वैध होगा ?

आपके ई-मेल एड्रेस तथा मोबाईल नंबर पर भेजा गया ओ.टी.पी. पन्द्रह मिनट के लिए वैध होगा। पन्द्रह मिनट पश्चात् इसकी वैधता नहीं रहेगी।

18. मुझे अपने मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिये?

जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल पर आपका ओ.टी.पी. आपके पंजीकृत मोबाईल नंबर तथा ई-मेल आई.डी. पर भेजा जायेगा। अगर आपके द्वारा 15 मिनट के अंदर ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं किया गया है तो आप RESEND OTP बटन पर क्लिक करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

19. RESEND OTP बटन पर क्लिक करने के बावजूद भी यदि ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होता है तो क्या करना होगा ?

RESEND OTP बटन पर क्लिक करने के पश्चात् यदि आपको एस.एम.एस.के माध्यम से आपके मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होता है तो कृपया यह जाँच कर ले कि आपके द्वारा दिया गया मोबाईल नंबर सही है अथवा नहीं।

RESEND OTP बटन पर क्लिक करने के पश्चात् यदि आपको आपके ई-मेल एड्रेस पर ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होता है तो कृपया यह जाँच कर ले कि आपके द्वारा दिया गया ई-मेल एड्रेस सही है अथवा नहीं।

20. मेरे द्वारा दो ओ.टी.पी. ई-मेल तथा मोबाईल के लिये क्यों प्राप्त किया गया है ?

आपके ई-मेल एड्रेस तथा मोबाईल नंबर की पुष्टि करने हेतु पृथक से उनमें ओ.टी.पी. भेजा जाता है इसीलिये दो ओ.टी.पी. भेजा जाता है।

जी.एस.टी.सिस्टम पोर्टल से भविष्य के सभी पत्राचार पंजीकृत ई-मेल एड्रेस तथा मोबाईल नंबर पर ही भेजे जायेंगे अतः मोबाईल नंबर तथा ई-मेल एड्रेस दोनों की पुष्टि करना आवश्यक है।

21. मेरे द्वारा अपने मोबाईल पर ओ.टी.पी. प्राप्त किया गया है मैंने उसी ओ.टी.पी. की प्रविष्टि E- mail OTP तथा Mobile OTP के लिये ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन पेज पर किया है। क्या ये ओ.टी.पी. अलग-अलग है ?

आपको अपने ई-मेल एड्रेस व मोबाईल नंबर पर दो अलग-अलग वन टाइम पासवर्ड (ओ.टी.पी.) प्राप्त हुआ होगा। अपने ई-मेल एड्रेस पर प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि E- mail OTP पर तथा अपने मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि Mobile OTP में क्रमशः करें। यदि आपने अपने दोनों फील्ड ई-मेल व मोबाईल ओ.टी.पी. में एक ही ओ.टी.पी. प्रविष्टि किया है तो error message के साथ आपका सत्यापन असफल हो जायेगा।

22. जी.एस.टी. में नामांकन के लिये नामांकन आवेदन पत्र में कौन-कौन से विवरण पहले से भरे गये हैं ?

नामांकन आवेदन पत्र में आपके पूर्ववर्ती डाटा से निम्नलिखित विवरण स्वतः शामिल कर लिये गये हैं—

- व्यवसाय का PAN
- व्यवसाय का वैध नाम
- राज्य
- पंजीयन प्राप्त करने के लिये देयता का कारण
- जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में नामांकन के दौरान प्रविष्टि किये गये मुख्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल एड्रेस व मोबाईल नंबर

23. नामांकन आवेदन पत्र में प्रविष्टि किये जाने वाले स्थान के बाजू में दिखाई पड़ने वाले लाल asterisk (*) क्या बताता है ?

लाल **asterisk** (*) अनिवार्य प्रविष्टि बताता है। नामांकन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिये लाल **asterisk** से चिन्हित किसी जगह में प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा।

24. क्या मैं नामांकन आवेदन पत्र में अपने Legal Name, State Name और PAN में परिवर्तन कर सकता हूँ ?

नामांकन आवेदन पत्र में दिखाई पड़ रहे Legal Name, State Name और PAN में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जो भी स्थिति हो, ये विवरण केन्द्र या राज्य के पूर्ववर्ती टैक्स सिस्टम से लिये गये हैं।

25. मैं अपने राज्य अधिकार क्षेत्र का कैसे पता लगाऊंगा ?

अपने राज्य अधिकार क्षेत्र जानने के लिये अपना वेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें। आपके वर्तमान वेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का अधिकार क्षेत्र ही इसका भी अधिकार क्षेत्र होगा।

26. मैं अपने Ward/ circle/ Sector नंबर का कैसे पता लगाऊंगा ?

अपने Ward/ circle/ Sector नंबर जानने के लिये अपना वेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें। इसका Ward/ circle/ Sector वही है जहाँ आप पंजीकृत हैं।

27. मैं अपने केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र का पता कैसे लगाऊंगा ?

यदि आप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पंजीकृत हैं तो अपना केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र जानने के लिये उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें।

यदि आप सिर्फ वेट रजिस्टर्ड डीलर हैं तो आपके मुख्य व्यवसाय स्थल के पते पर आधारित अपना केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र ढूँढना पड़ेगा। आप पूरी जानकारी के लिये CBEC website www.cbec.gov.in में जायें।

(refer URL - http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/deptt_offcr/cadre-restruct/cadre-restructg-notifications.pdf).

28. मुझसे कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहा है, क्यों ?

सर्वप्रथम आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें। आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि जो दस्तावेज आप अपलोड कर रहे हैं वह पी.डी.एफ या जे.पी.ई.जी. फॉर्मेट

में हो जिसकी अधिकतम साईज एक एम.बी हो। यदि फोटो अपलोड कर रहे हैं तो वह जे.पी.ई.जी. फार्मेट में हो जिसकी अधिकतम साईज 100 के.बी हो।

29. फॉर्म की प्रविष्टि करते समय मेरे द्वारा बिजनेस डिटेल पृष्ठ पर सभी विवरणों की प्रविष्टि की गई है परंतु अब सभी प्रविष्टियाँ खाली दिख रही हैं, क्यों ?

पृष्ठ की सभी प्रविष्टियों को करने के पश्चात् आपको पेज सेव करना पड़ेगा। पृष्ठ के निचले भाग में **सेव एंड कन्टीन्यू** बटन को क्लिक करके सभी प्रविष्टियों को सुरक्षित (Save) करें, तत्पश्चात् अन्य विवरणों की प्रविष्टि करने के लिये आगे बढ़ें।

30. **DIN क्या है ?**

DIN का आशय Director Identification Number है जो किसी कंपनी के डायरेक्टर को Ministry of Corporate Affairs के द्वारा जारी किया गया है। DIN को जानने के लिये Ministry of Corporate Affairs के द्वारा जारी DIN Allotment Letter को देखें अथवा MCA Portal - www.mca.gov.in पर जायें।

31. मेरे पास आधार नंबर नहीं है, क्या आधार नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य है ?

नामांकन आवेदन भरने के लिये आधार अनिवार्य नहीं हैं, परन्तु जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में नामांकन आवेदन जमा करते समय आपको DSC अथवा आधार निर्धारित E-Signing इस्तेमाल करना पड़ेगा।

32. **व्यवसाय का मुख्य स्थान क्या है ?**

व्यवसाय का मुख्य स्थान राज्य के भीतर वह प्राथमिक स्थान है जहाँ पर करदाता के व्यवसाय का व्यवसाय संचालित होता है। व्यवसाय का मुख्य स्थान सामान्यतः वह जहाँ व्यवसाय से संबंधित लेखा पुस्तके तथा दस्तावेज रखे जाते हैं तथा अक्सर जहाँ व्यवसाय का मुखिया अथवा टॉप मैनेजमेंट स्थित है।

33. **व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान क्या है ?**

व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान वह स्थान है जहाँ करदाता अपने मुख्य स्थान के अलावा राज्य के भीतर अपने व्यवसाय से संबंधित कार्य करता है।

34. HSN तथा SAC Code क्या है ?

HSN का आशय हॉर्मोनाईज्ड सिस्टम ऑफ नॉमॅक्लेचर है, जो वस्तुओं की वर्गीकरण में एकरूपता बनाये रखने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वस्तुओं का कोडिंग सिस्टम है ।

सर्विस एकाउंटिंग कोड (**SAC**) को सेवाओं का पहचान करने के लिये सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एंड कस्टम्स (**CBEC**) के द्वारा अपनाया गया है।

35. जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर नामांकन करते समय मुझे कौन से बैंक खाते की जानकारी देनी होगी ?

व्यवसायिक संव्यवहार में इस्तेमाल किये जाने वाले बैंक खाते की जानकारी जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में नामांकन के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

36. मेरे पास एक से अधिक बैंक खाते है, जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल मे नामांकन करते समय क्या मैं उन सभी की प्रविष्टि कर सकता हूँ ?

जी.एस.टी. पोर्टल सिस्टम पर नामांकन करते समय आप अधिकतम 10 बैंक खातों की जानकारी जोड़ सकते है।

37. नामांकन के लिये क्या DSC अनिवार्य है ?

कंपनी, विदेशी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLPs), तथा विदेशी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (FLLPs) हेतु DSC अनिवार्य है।

अन्य करदाताओं के लिये DSC वैकल्पिक है।

38. जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल मे मेरा DSC पंजीकृत नही है, क्या मैं अपने नामांकन आवेदन को DSC के साथ प्रस्तुत कर सकता हूँ ?

आपके द्वारा नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया जा सकेगा यदि जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में आपको DSC पंजीकृत नहीं है अतः आपको जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में "Register Your DSC" पर क्लिक कर DSC पंजीकृत करवाना होगा।

39. जी.एस.टी. पोर्टल मे अपने DSC को मैं कैसे पंजीकृत कर सकता हूँ ?

यदि आपके पास वैध **DSC** है, तो आप **GST** सिस्टम पोर्टल में जाकर "Register Your DSC" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। CBDT के PAN डाटाबेस से DSC धारक के PAN का मिलान होना चाहिये। मिलान होने के पश्चात् यूजर को उस सर्टिफिकेट लिंक का चयन करना चाहिये जिसे पंजीकृत किया जाना है, सिर्फ वर्ग-दो या वर्ग-तीन DSC ही GST सिस्टम पोर्टल में पंजीकृत हो सकते हैं।

40. E-Sign. क्या है ? यह कैसे काम करता है ?

E-Sign. से आशय है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। E-Sign. एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सेवा है जो आधार धारक को दस्तावेजों में डिजिटल हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आवेदक E-Sign. सर्विस का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिकली हस्ताक्षर करने के विकल्प का चयन करता है तो निम्न कार्य किये जाने होंगे—

करदाता को "E. Sign." बटन पर क्लिक करना होगा

सिस्टम अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को आधार नंबर की प्रविष्टि करने के लिये कहेगा—

1. आधार नंबर के पुष्टिकरण के पश्चात् जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल UIDAI सिस्टम को One Time Password (OTP) भेजने के लिये अनुरोध करेगा।
2. UIDAI सिस्टम आधार नंबर से जुड़े मोबाईल नंबर तथा ई-मेल एड्रेस पर One Time Password (OTP) भेजेगा।
सिस्टम यूजर को One Time Password (OTP) की प्रविष्टि करने के लिये कहेगा।
यूजर One Time Password (OTP) की प्रविष्टि करेगा तथा दस्तावेज जमा करेगा। "E- Signing" प्रक्रिया पूर्ण हुई।


41. नामांकन के लिये आवेदन करने हेतु क्या कोई शुल्क लागू है ?

नहीं, नामांकन के लिये आवेदन हेतु जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में कोई भी शुल्क लागू नहीं है।

42. **ARN क्या है ?**

ARN, Application Reference Number है जो E- Sign. अथवा Digital Signature (DSC) के साथ नामांकन आवेदन जमा करने के पश्चात् जारी होता है। यह एक विशिष्ट संख्या है जो जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में प्रत्येक संव्यवहार के पूर्ण होने पर जारी होती है।

43. **ARN का प्रारूप क्या है ?**



44. मैं केन्द्रीय उत्पाद/सेवा कर तथा राज्य वैट अधिनियम के अतर्गत विद्यमान करदाता हूँ, जी.एस.टी.कानून के तहत निर्धारित आवेदन में मेरे द्वारा जी.एस.टी.एन. अनुसार माँगी गई समस्त जानकारी सफलतापूर्वक प्रस्तुत की जा चुकी है, आगे क्या होगा ?

नामांकन आवेदन के सफलतापूर्वक जमा किये जाने पर जी.एस.टी.एन. सिस्टम पोर्टल पर Application Reference Number (ARN) जारी होगा। आपके द्वारा ARN का इस्तेमाल अपने आवेदन की स्थिति को जानने के लिये किया जा सकता है।

45. मुझे अभी तक Application Reference Number (ARN) प्राप्त नहीं हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिये ?

अगर पन्द्रह मिनट के भीतर आपको ARN प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको एक ई-मेल भेजा जायेगा, जिसमें आगे की कार्यवाही हेतु विस्तृत निर्देश होंगे।

46. जानकारी की प्रविष्टि करते समय मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया। सुरक्षित की हुई नामांकन फॉर्म को मैं कैसे पुनः प्राप्त कर सकता हूँ ?
सुरक्षित किये हुए नामांकन फॉर्म को पुनः प्राप्त करने के लिये जी.एस.टी.एन. सिस्टम पोर्टल में सही परिचय के साथ लॉगिन करें। Dashboard > My Saved Application Menu में जायें। नामांकन फॉर्म को पुनः प्राप्त करने के लिये Edit बटन पर क्लिक करें।
47. मुझे एक ई-मेल प्राप्त हुआ है कि PAN के मिलान के दौरान PAN Mismatch हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहियें ?
आपको पुनः जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर लॉगिन करना होगा तथा अपने PAN की जानकारी के अनुसार जानकारियों की प्रविष्टि कर पुनः नामांकन आवेदन जमा करना होगा।
48. मेरे DSC की अवधि समाप्त हो गई है / निरस्त हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिये ?
आपको अपने वैध DSC को पुनः पंजीकृत कराना होगा। जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर सही परिचय के साथ लॉगिन करें। Dashboard> Register> Update DSC मेनु में जायें। निरस्तकरण के मामले में जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर अन्य वैध DSC को पंजीकृत कराना होगा।
49. क्या कोई हेल्प डेस्क सुविधा उपलब्ध होगी ?
हाँ, यह जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।

भाग— सः— निर्धारित तिथि के बाद की गतिविधियाँ

50. क्या नामांकन का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है ?
हाँ, यदि आपने अपने E- Sign. या अपने DSC सहित जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में त्रुटिपूर्ण अथवा जाली अथवा गलत दस्तावेज उपलब्ध कराया है/अपलोड किया है तो जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में नामांकन निरस्त किया जा सकता है। हालाँकि

यदि आवेदक करदाता अपना पक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे सुने जाने हेतु उचित अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।

51. क्या मैं नामांकन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद संशोधन कर सकता हूँ ?

आप नियत तिथि एवं उसके बाद वाले दिन से नामांकन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।

52. क्या मैं नामांकन के समय दिया हुआ अपना मोबाईल नंबर और ई-मेल आई.डी. बदल सकता हूँ ?

आप नामांकन आवेदन पत्र के समय दिया गया मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. नियत तिथि एवं उसके बाद संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से बदल सकते हैं।

53. मुझे अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र कब प्राप्त होगा ?

यदि आपने नामांकन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर लिया है तो नियत तिथि पर आपके Dashboard पर यह उपलब्ध होगा।

54. मुझे स्थायी (Final) पंजीयन प्रमाण पत्र कब प्राप्त होगा ?

केन्द्र/राज्य के संबंधित अधिकार क्षेत्र के सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात् (छः माह के भीतर) नियत तिथि को उपलब्ध कराया जायेगा।